

संख्या: - १४ /एफ-10-2020-33(36)/2018 टीसी

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बांदा, चन्दौली, पीलीभीत, सीतापुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर देहात, औरैया, गोंडा, हमीरपुर, बाराबंकी, चित्रकूट, आजगढ़, आगरा, फतेहपुर, बिजनौर, बलिया, इटावा, मीरजापुर, जालौन, कुशीनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: १५ फरवरी, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि फसलों के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2019 की बाढ़ में आप द्वारा बाढ़ मेमोरेण्डम 2019 में कृषि फसलों की क्षति हेतु मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष बाढ़ से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिए निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 643196199/- (रु० चौसठ करोड़ इकत्तीस लाख छयानब्बे हजार एक सौ निन्यानबे), प्रथम किस्त के रूप में कालम-4 में अंकित धनराशि को कालम-2 में अंकित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

Table-1			
Agriculture Input Subsidy - for the Farmers having upto 2 hec. land			
(Rs)			
Sr.No.	Name of district	total demands of districts	proposed amount to sanctioned
1	2	3	4
1	Mirzapur	84524246	84524246
2	Balia	57507600	57507600
3	Banda	57310400	57310400
4	Varanasi	55057782	55057782
5	Jalun	41521881	41521881

	Gorakhpur	30645000	30645000
7	Prayagraj	29882465	29882465
8	Chitrakoot	28798981	28798981
9	Hamirpur	21243200	21243200
10	Kanpur dehat	20749758	20749758
11	Kaushambi	20434089	20434089
12	Fatehpur	19260900	19260900
13	Chandauli	17834846	17834846
14	Sant kabir nagar	14040000	14040000✓
15	Agra	12291000	12291000
16	Etawa	10368361	10368361
17	Auraiya	9366774	9366774
18	Azamgarh	4686390	4686390
19	Sitapur	2830119	2830119
20	Barabanki	2564190	2564190
21	Lakhimpur khiri	2222217	2222217
22	Kanpur nagar	1407600	1407600
23	Bahraich	1250683	1250683
24	Gonda	222750	222750
25	Bijnore	222750	222750
26	Pilibhit	185787	185787
27	Kushinagar	64031	64031
	G.Total	546493800	546493800

Table-2

Agriculture Input Subsidy - for the Farmers more than 2 hec. land			
(Rs			
Sr.No.	Name of district	total demands of districts	proposed amount to sanctioned
1	2	3	4
1	Mirzapur	4257400	4257400
2	Balia	4692000	4692000
3	Banda	25982800	25982800
4	Jalaun	14232400	14232400
5	Gorakhpur	226800	226800
6	Prayagraj	27200	27200
7	Chitrakoot	15838800	15838800
8	Hamirpur	7915200	7915200
9	Kaushambi	1286800	1286800
10	Fatehpur	1318100	1318100
11	Agra	387600	387600
12	Etawa	3704800	3704800
13	Auraiya	1917175	1917175
14	Barabanki	364500	364500
15	Kanpur nagar	12158400	12158400
16	Bahraich	153224	153224
17	Bijnore	198000	198000
	G.Total	96702399	96702399

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित प्रभावित कृषकों को 15 दिन में वितरित करते हुए उसकी सूचना शासन को अवगत करायी जाये।

स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(4) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(5) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(7) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

(8) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(12) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीया,

He 18/2/2020
(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या 98 (1)/एक-10-2019-33(36)/2018 टीसी, तददिनांक ।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

Q
14.2.2020

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-14/02/2020

प्रेषण संख्या:- 98 1
आवंटन आदेश संख्या:- 127-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	12678600 12678600	12678600 12678600
2	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20579000 23579000	20579000 23579000
3	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	29909665 41009665	29909665 41009665
4	जालौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	55754281 62754281	55754281 62754281
5	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	29158400 34158400	29158400 34158400
6	बांदा -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	83293200 88293200	83293200 88293200
7	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	55057782 62557782	55057782 62557782
8	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	88781646 93781646	88781646 93781646
9	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	62199600 147199600	62199600 147199600
10	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	32913000 35413000	32913000 35413000
11	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20749758 30749758	20749758 30749758
12	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	17834846 22834846	17834846 22834846
13	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	14040000 16540000	14040000 16540000
14	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	21720889 21720889	21720889 21720889
15	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	44637781 47137781	44637781 47137781
	योग	वर्तमान प्रगामी	589308448 740408448	589308448 740408448

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अट्ठावन करोड़ तिरानवे लाख आठ हजार चार सौ अड़तालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौहत्तर करोड़ चार लाख आठ हजार चार सौ अड़तालीस


(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-14/02/2020

प्रेषण संख्या:- 98 1

आवंटन आदेश संख्या:- 128-33

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	420750 3577750	420750 3577750
2	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	185787 5185787	185787 5185787
3	इटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14073161 16573161	14073161 16573161
4	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13566000 18566000	13566000 18566000
5	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4686390 11956390	4686390 11956390
6	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2830119 8042119	2830119 8042119
7	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2222217 4722217	2222217 4722217
8	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	222750 11246750	222750 11246750
9	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1403907 6403907	1403907 6403907
10	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2928690 27928690	2928690 27928690
11	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	64031 2564031	64031 2564031
12	औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	11283949 13783949	11283949 13783949
	योग	वर्तमान प्रगामी	53887751 130550751	53887751 130550751

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ अड़तीस लाख सत्तासी हजार सात सौ इक्यावन

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ पाँच लाख पचास हजार सात सौ इक्यावन


(उपेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन